न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./103/2024/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. लखा उर्फ लखसिंह पुत्र हरचन्दसिंह 2. जोगा उर्फ जोगसिंह पुत्र हरचन्दसिंह 3. प्रतापा उर्फ प्रतापसिंह हरचन्दसिंह जातियान रावणा राजपूत (वजीर) निवासीयान लालाणियों की ढाणी, बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर	1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 2. आयुक्त, नगर विकास न्यास, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 708/2024 बउनवान लखा उर्फ लखसिंह वगैरा बनाम तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण वगैरह में पारित आदेश दिनांक 16.10.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मनोज पारिक अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—12.03.2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पैतृक व पीढियों के कब्जे काश्त की भूमि मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 760 रकबा 1.4083 हैक्टयर(8.14 बीघा) की आई हुई है। जिस भूमि पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से पूर्व से विगत करीब 70 वर्षों से अधिक समय से निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें अपीलांट/प्रार्थीगण के रहवास के लिए पक्की ढाणीयां, जिसमें झौपें, ढाणियां, पानी के टांका, मंदिर आदि बने हुए है। विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। भू पैमाईश के समय प्रार्थीगण/अपीलांट के पूर्वजों ने चैनमेन व

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पैमाईश का खर्चा वहन किया गया था। परन्तु उक्त भूमि सेटलमेंट अधिकारियों ने पर्चा लगान व दस्तावेजों का संधारण करते समय भूलवश प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से दर्ज न कर सरकारी भूमि के रूप में खसरा संख्या 760 गैर मुमकिन रड़ी के रूप में दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि के मध्य में स्थित गैर मुमकिन ढाणी खसरा संख्या 759 रकबा 02 बिस्वा अपीलांट/प्रार्थीगण के पिता हरचन्द के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था। इसी भूमि के लगोलग अपीलांट/प्रार्थीगण की अन्य भूमि खसरा संख्या 758, 757 स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की अन्य भूमि के सेढासेढ मौके पर एकल चक के रूप में स्थित है। वर्तमान में अपीलाधीन आराजी की समस्त भूमि उतरदाता संख्या 02 नगर न्यास को आवंटित की गई थी। जबकि उक्त अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त है। उक्त अपीलाधीन आराजी की खातेदारी पाने तथा साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वाद मय आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपीलार्थी ने अभीकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पैतृक व पीढियों के कब्जे काश्त की भूमि मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 760 रकबा 1.4083 हैक्टयर(8.14 बीघा) की आई हुई है। जिस भूमि पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से पूर्व से विगत करीब 70 वर्षों से अधिक समय से निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें अपीलांट/प्रार्थीगण के रहवास के लिए पक्की ढाणियां, जिसमें झौपें, ढाणियां, पानी के टांका, मंदिर आदि बने हुए हैं। विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। भू पैमाईश के समय प्रार्थीगण/अपीलांट के पूर्वजों ने चैनमेन व पैमाईश का खर्चा वहन किया गया था परन्तु उक्त भूमि सेटलमेंट अधिकारियों ने पर्चा लगान व दस्तावेजों का संधारण करते समय भूलवश उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से दर्ज न कर सरकारी भूमि के रूप में खसरा संख्या 760 गैर मुमकिन रड़ी के रूप में दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि के मध्य में स्थित गैर मुमकिन ढाणी खसरा संख्या 759 रकबा 02 बिस्वा अपीलांट/प्रार्थीगण के पिता हरचन्द के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था। इसी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

भूमि के लगोलग अपीलांट/प्रार्थीगण की अन्य भूमि खसरा संख्या 758, 757 स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की अन्य भूमि के सेढासेढ मौके पर एकल चक के रूप में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही विंदु अपीलांटगण के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत हैं तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे हैं तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जान संभव नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि राजकीय अभिभाषक ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का कोई हक नियत नहीं है। अपीलाधीन आराजी गैर मुमकिन रड़ी है जो काबिल काश्त भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिंदु रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई प्रक्रियातत्मक त्रुटि नहीं है। श्रीमान न्यायालय द्वारा हम उतरदातागण को सुनवाई का समुचित मौका दिये बिना राजकीय सिवायचक भूमि पर स्थगन आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काश्त की गई। जिसके आधार पर अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट के कोई हक पैदा नहीं होते है। मूल वाद के विचारण में रहते राजकीय भूमि पर स्थगन आदेश जारी करना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया प्रतीत होता है। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश अपील पोषणीय नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन, तथ्यों तथा मेरी सुविचारित राय के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 708/2024 बउनवान लखा उर्फ लखसिंह वगैरा बनाम तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण वगैरह में पारित आदेश दिनांक 16.10.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर